मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
वैद्यकिय विभाग

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सेवारत और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके पति /पत्नि के लिए वैद्यकिय सुविधा की सरंचना निम्नलिखित योजनायें लागु होगी.

---

१. उपरोक्त वैद्यकिय योजनाओं का लाभ लेने के लिए मरिजोंको मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सहाय्यक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (दवाखाना) को इ- मेल तथा फॅक्स द्वारा , निचे दी गयी सुची के अनुसार जानकारी देना जरूरी है .

१.मरिज का एम.अे.आर.कार्ड(MAR)नंबर

२. मरिज का घरका पूरा पता,

३.मोबाईल नंबर,घरका फोन नंबर तथा कार्यालय का फोन नंबर

यह सभी जानकारी फॅक्स नंबर.022 24145115 तथा इ-मेल द्वारा cmo@mbptmail.com पर भेज दिजीए.

२. **सेवारत कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य** ः यदि कोई कर्मचारी अथवा परिवार के आश्रित सदस्य आपात स्थिति में नजदीक के किसी निजी अस्पताल/नर्सींग होम में भर्ती होकर इलाज करते हैं, तब डिसचार्ज होनेपर तथा बाहय रूग्ण सेवा पूर्ती के पश्चात छे महिनो के अंदर अपनी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती की औपचारीकता करना बंधनकारक है.

सेवानिवृत्त कर्मचारी ः यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी **उनके** पति /पत्नि आपात स्थिति में नजदीक के किसी निजी अस्पताल/ नर्सींग होम में भर्ती होकर इलाज करते हैं , तब डिसचार्ज होनेपर उन्होनें दो महिने के अंदर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती की औपचारीकता करना बंधनकारक है. एवंम बाहरी

उपचार होनेपर छे महिनो के अंदर अपनी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती की औपचारीकता करना बंधनकारक है.

३. सेवानिवृत्त कर्मचारियोंने सेवानिवृत्त होनेपर अपना MAR Card एवंम PPO Card का पंजीकरण करना आवश्यक है. जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियोंनो MAR Card एवंम PPO Card का पंजीकरण नहीं किया है, वे निजी चिकित्सालयों में लिए गये ओपीडी (OPD)उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ती के हकदार नहीं होते हैं. वैद्यकिय सुविधा योजना का लाभ पाने के लिए निवृत्त कर्मचारियों को पंजीकरण की औपचारीकता एक महीने के अंदर करना आवश्यक है.

४. केवल आपतकालीन पारिस्थितीयोमें मरीज अपने घर की नजदीकी अस्पताल में सेवा का लाभ ले सकते है. उसके लिए मरिजोंको मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सहाय्यक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (दवाखाना) का अनुमोदन लेना आवश्यक है. जो कर्मचारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यायाधिकारक्षेत्र के दहिसर/मुलुंड/मानखुर्द सीमा से दुर रहते है, उन्होंनेभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल बाहय रूग्ण सेवा और आंतररूग्ण सेवा का लाभ लेना अनिवार्य है.

५.**हिमोडायेलिसिस के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ती** मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के नियमों के अनुसार दी जायेगी.इस दौरान हो गयी दवायें एवंम सुचर मटेरीयल की व्यय प्रभारों की प्रतिपूर्ती नही की जायेगी.

डायेलिसिस के दौरान इस्तमाल किया गया सुचर मटेरियल तथा दवाईयों का पर्चा पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल चिकित्सा अधिकारीयोंसे लिखवाकर लेना व्यय का भुगतान पाने के लिए जरूरी है. उपरोक्त नियम, सेवारत कर्मचारी /सेवानिवृत्त कर्मचारीयों के लिए समान है.

६.निजी दवांइयों के दुकान से खरिदने के लिए पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारीयोंने दिए गये पर्चेपर(prescription chit) आउट ऑफ स्टॉक तथा N.R { इन दवाइकी व्यय की प्रतिपूर्ती का भुगतान नहीं हो सकता } का मोहरा (stamp) लगाया की नही यह देखकर ओपीडी से बाहर निकले.

७. उपकरणों (के लिए सेवारत कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य अर्जी कर सकते है. केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी उपकरणों के लिए पात्र है. सेवानिवृत्तकर्मचारी की पत्नि/पति सुविधाओं के लिए पात्र नही है.

८. सेवारत तथा सेवानिवृत्तकर्मचारी जिस उपचार के लिए पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी का पूर्व अनुमोदन पत्र/ क्रेडिट नोट दी गयी है उसके अतिरिक्त उपचार की व्यय के प्रतिपूर्ती के भुगतान के पात्र नही है. अतिरिक्त उपचारपर लागत के प्रभारों की प्रतिपूर्ती उचित पत्र/ क्रेडिट नोट पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के चिकित्सक की सलाह और सिफारिशों के अनुसार अधिकारीयों द्वारा लिखा गया होना आवश्यक है.

९. निजि अस्पताल में दियें गये उपचार का व्यय अगर अंदाजित व्यय से अधिक हो रहा हो , तो इसकी जानकारी कर्मचारीने पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के १५-अ (15-A) विभाग में देना आवश्यक हे.

१०. C.I.S.F. के सेवारत कर्मचारीयोंको इस सुविधा का लाभ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सेवारत कर्मचारीयों के बराबर दिया जाएगा और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को CGHS के नियमानुसार दिया जाएगा(**CGHS** एप्रील २०१४).